

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम— Untied Fund for Primary Health Centre and Additional Primary Health Centre.

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) — Untied Fund for Primary Health Centre and Additional Primary Health Centre.

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)—B2.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव एवं जरूरत के अनुसार आवश्यक कार्य हेतु Untied Fund दिया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए निम्नलिखित राशि वर्ष 2011-12 के लिए भारत सरकार से स्वीकृत है।

ईकाई राशि:

1. @ Rs. 25,000/- per Primary Health Centre per year
2. @ Rs. 25,000/- per Additional Primary Health Centre per Year

वित्तीय दिशा-निर्देश

उक्त राशि निम्नांकित कार्यों में खर्च किये जा सकते हैं:-

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के छोटे परिवर्तन यथा पर्दा लगाने में नल की मरम्मती, वल्ब लगाने में एवं स्थानीय स्तर पर छोटी मरम्मती ।
2. आवश्यक सामग्री, उपकरण एवं मशीन की खरीददारी एवं रिपेयर। यथा-रोगी जाँच टेबुल, डिलीवरी टेबुल, डी.पी. उपकरण, हीमोग्लोबिन मीटर, कॉपर-टी लगाने वाले किट, उपकरण ट्रे, बच्चा ट्रे, भार स्केल मां एवं नवजात शिशु हेतु, प्लास्टिक/रबर सीट, ड्रेसिंग सीजर, स्टेथोस्कोप, बाल्टी, एटेंडेन्स स्टूल, मेकिंग टोस सीट इत्यादि ।
2. सप्लाई पानी की व्यवस्था हेतु ।
3. बिजली की व्यवस्था हेतु ।
4. सफाई की व्यवस्था हेतु, विशेषकर बच्चे के जन्मोपरान्त ।
5. आपातस्थिति में उचित रेफरल परिवहन में ।
6. महामारी के समय नमूने के आवागमन हेतु परिवहन मद में ।
7. कन्जुमेबुल्स यथा- बैन्डेज की खरीद पर ।
8. ब्लीचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजों की खरीद पर ।
9. जलजमाव के रोकथाम हेतु तथा साफ-सफाई करने में जिससे उत्पन्न बीमारी को रोका जा सके ।
10. आशा के चिन्हित कार्यों के करने पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर ।
11. Soak Pits के मरम्मती अथवा चालू कराने में ।

उपर्युक्त बिन्दु मात्र संदर्भ के लिए है। इसके अतिरिक्त अस्पताल की रोगी कल्याण समिति आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री का क्रय/रिपेयर पर इस राशि का उपयोग करने के लिए सक्षम है।

नोट:- अस्पताल की रोगी कल्याण समिति एवं भंडारपाल की यह जवाबदेही होगी की इस मद से क्रय/रिपेयर किये जाने वाली सामग्री को खरीदने/रिपेयर से पूर्व यह प्रमाणित करेंगे कि उक्त सामग्री का क्रय पूर्व में किसी मद/श्रोत से नहीं किया गया है अथवा उक्त उपलब्ध सामग्री तत्काल में उपयोग लायक नहीं है। इससे सामग्रियों के व्यर्थ की क्रय/रिपेयर में राशि की उपयोगिता से बचा जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं- तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 4657 A, Dated 07.11.2007 (ख) 22378 Dated 27.12.10

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम— श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर— 09470003025